Study Govt Help

विद्या संबल योजना

करौली जिला

जिला विज्ञप्ति एवं रिक्त पद सूचना

विद्या संबल योजना के अंतर्गत करौली जिले की विज्ञप्ति

मूल विभागीय नोटिफिकेशन संलग्न

नवीनतम सरकारी अपडेट के लिए जुड़ें

Telegram: Latest Govt Notification

राजस्थान–सरकार

कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा करौली (राज0)

E-mail Id:- chiefdeokarauli@gmail.com & cdeo.karauli.dse@rajasthan.gov.in

क्रमांक– मु.जि.शि.अ. / करौली / 2026 / 1480 दिनांकः–12.11.2026

–:विज्ञप्तिः–

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अंतर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रैंफरैस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभागे के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा विले नि/ 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशो के क्रम मे माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों मे शिक्षको के रिक्त पदों पर "विद्या संबल योजना" के द्वितीय चरण के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी रूप से लगाया जाना है । उक्त योजना के तहत लगाये जाने वाले शिक्षको के पद ,योग्यताऐं/शर्ते और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

1. (विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले पद एवं योग्यताए) –

क्र.स.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम –2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्यूनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत/निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे , बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषय को छोडकर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियांः–

विद्या संबल योजना योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा।

(3) रिक्तियों का प्रकाशनः–

Scanned with OKEN Scanner

विद्यालय वार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन /अवलोकन संबंधित विद्यालय/यूसीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड ,क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान ,जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जायेगा।.

(4) आवेदन की प्रकिया :–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत शिक्षक/निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों , निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र ,समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय –सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/यूसीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित हो कर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण :–

विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के उपरांत विद्यालय वार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित प्राचार्य /यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा । वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोडकर किया जाएगा।

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा । गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगी–

क्र.स.	पदनाम	विवरण
1.	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी	अध्यक्ष
2.	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक	सदस्य
3.	संबंधित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4.	जिला मुख्यालय का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को संबंधित जिले के जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी । जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चिय इस बाबत् अंतिम होगा।

(7) विद्या संबल योजना के तहत मानेदयः–

विद्या संबल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रति घण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.स.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
1	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्ते–

Scanned with OKEN Scanner

- चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य /यूसीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर कार्य करने हेतु उपस्थित होगें।
- निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरियता सूची के आगामी कमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रकिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो , तक के लिए पूर्णतया अस्थायी तौर पर लगाया जाएगा।
- उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतया अस्थायी तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिए स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
- गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवानिवृत शिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा , जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
- गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन संबंधित प्राचार्य /यूसीईईओ द्वारा किया जाएगा । न्यून कार्यकुशलता ,दुराचरण , अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य /यूसीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गेस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा ।

(8) कार्यक्रम एवं समय सारणी :– (ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.स.	विवरण	दिनांक
1.	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	19.11.2026
2.	यूसीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	21.11.2026
3	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	23.11.2026 से 25.11.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (यूसीईईओ स्तर)	26.11.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5.	यूसीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं अस्थाई वरीयता सूची में आपतियॉ मॉगना ।	27.11.2026 से 28.11.2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपतियों के निस्तारण पश्चात अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर ,स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03–03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना ।	30.11.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7.	यूसीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुॅचाना।	01.12.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कार्यालय में पहुॅचाना।	02..12.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, कार्यालय द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची परीक्षण उपरान्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुॅचाना	03.12.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
10	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन– सूची अनुमोदन तिथि	04.12.2026 (सांय 05:00 बजे तक)
11	आदेश जारी करना	04.12.2026 (रात्रि 11:59 बजे तक)

संलग्नः– आवेदन पत्र का प्रारूप

Scanned with OKEN Scanner

(सुनील कुमार शर्मा)
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,करौली
दिनांकः–12.11.2026

क्रमांक– मु.जि.शि.अ. / करौली / 2026 / 1480

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ट सहायक ,माननीय शिक्ष मंत्री ,राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव ,अतिरिक्त मुख्य सचिव ,स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग , राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली ।
4. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त , राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
6. संयुक्त शासन सचिव , शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण /कार्मिक) राजस्थान बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा विभाग भरतपुर ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक करौली ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला करौली।
11. समस्त यूसीईईओ / प्राचार्य जिला करौली
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा,करौली

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन का प्रारूप

फोटो

1. आवेदक का नामः–

2. पिता का नामः–

3. आवेदित विद्यालय का नामः–

4. आवेदित पद का नामः–

5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–

6. जन्म तिथिः–

7. शैक्षणिक योग्यताः–
   1. माध्यमिक — वर्ष——— प्रतिशत—— संलग्न–1
   2. उच्च माध्यमिक — वर्ष———प्रतिशत—— संलग्न–2
   3. स्नातक — वर्ष———प्रतिशत—— संलग्न–3
   4. अधिस्नातक — वर्ष———प्रतिशत—— संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता
   1. बी.एड./समकक्ष — वर्ष———प्रतिशत—— संलग्न–5
   2. डी.एल.एड./समकक्ष — वर्ष———प्रतिशत—— संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता — वर्ष———प्रतिशत——संलग्न–7

10. निवास का पताः–
    1. स्थाई———————————————————————
    ———————————————————————
    2.वर्तमान———————————————————————
    ———————————————————————

11. मोबाईल नम्बरः———————————————————————

12. जाति वर्ग——————प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8

13. अन्य (विकलांग/भू.पू.सैनिक/विधवा/परित्यक्ता/स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9

14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10

15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11

16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12व13

17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13(स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं **वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है** तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

Study Govt Help

Thank You!

विद्या संबल योजना – करौली जिला

विद्या संबल योजना के अंतर्गत करौली जिले की विज्ञप्ति

www.studygovthelp.in

इस जिला विज्ञप्ति को पढ़ने के लिए धन्यवाद।